

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2597]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2019/श्रावण 16, 1941

No. 2597]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2019/SHRAVANA 16, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2019

का.आ. 2856(अ).— सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) को अधिसूचना संख्या का.आ. 2469(अ), तारीख 10 जुलाई, 2019 द्वारा विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए सिख्स फॉर जिस्टिस (एसएफजे) को एक विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, न्यायमूर्ति श्री डी. एन. पटेल, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाले एक विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन करती है।

[फा.सं. 17014/33/2019-आईएस-VII]

एस.सी.एल.दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2019

S.O. 2856(E).—Whereas Sikhs For Justice (SFJ) has been declared as an unlawful association, *vide*, notification number S.O. 2469 (E) dated 10th July, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes an Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Mr. Justice D.N. Patel, Chief Justice, High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Sikhs For Justice (SFJ) as an unlawful association.

[F.No. 17014/33/2019-IS-VII]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.